22/7/19

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते ब. बहस
आगामी पेशी दिनांक 5/8/19
पेश हो

5-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 451/2016

1 अभिमन्यु पुत्र श्री कृष्ण चन्द उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़। ––– वादी

–:: बनाम ::–

1 कृष्ण चन्द पुत्र श्री उदा राम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2 रुकमणीदेवी धर्मपत्नि श्री कृष्णचन्द जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3 सुमन पुत्री श्री कृष्णचन्द पत्नि श्री उमेशकुमार जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)। ––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्र कुमार पारिक अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की हकीकी बहिन है।

वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा पूर्व मे वादी के दादा भी उदाराम व उनके समस्त पुत्र एक साथ है। संयुक्त रूप से निवास करते जा रहे थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने भाईयो को साथ संयुक्त रूप से साथ रहते हुए पैतृक कृषि भूमि की आय से पृथक–पृथक कृषि भूमि क्रय की। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने भाईयों के साथ उक्त समस्त कृषि भूमि को पैतृक सम्पति मानते हुए सन् 2011 में विधिवत् रूप से विभाजन कर लिया उक्त विभाजप में प्रतिवादी संख्या 1 को चक नम्बर 11 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 14 से 24 कुल 21 बीघा, चक 22 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 76/224 (31 के किला नम्बर 4, 7, 8/10 वि., 13/10 वि., 14, 17, 18/10 वि., 23/10 वि., 24 कुल 7 बीघा व पत्थर नम्बर 75/225 (35) के किला नम्बर 1 से 4, 10/10 वि. कुल 4.10 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त हुई है। वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिक होने के कारण उक्त कृषि भूमि में जन्मतः ही हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को अर्सा 2 वर्ष पूर्व उक्त समस्त कृषि भूमि में से उसके हक न हिस्सानुसार 11 बीघा 10 विस्वा कृषि भूमि अर्थात 2.810 हैक्टर कृषि भूमि बांटकर दे दी थी तथा कब्जा भूमि वादी को चक 11 जे.डी.डब्लयु. के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि सौप दिया।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

अर्सा 2 वर्ष पूर्व से चक 11 जे.डी.डब्ल्यु. के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है, लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उक्त राजस्व अभिलेख में उक्त वादी के नाम अमल दरामद नही होने से वादी के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस कारण वादी इस आश्य की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदान है कि वादी प्रश्नगत् आराजी चक 11 जे.डी.डब्ल्यू खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने का अधिकारी है।

वादी ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम से दर्ज करवाने में सहमति दे देवें तो वे इन्कार हो गए। यही विनाय दावा है। प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी की हकीकी बहिन है सन् 2005 के संशोधन के पश्चात उक्त सम्पति में सहदायककि होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, चूंकि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से सम्बन्धित है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी की माता है आवश्यक पक्षकार है। वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि उचित न्यायालय पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी प्रश्नगत आराजी चक 11 जे.डी.डब्लयु. खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5. 7 से 14, 17 से 24 तादादी 25 बीघा में से 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार है। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 24.04.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी वाद वादी मिकर अभिमन्यु द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है, के नाम पैतृक सम्पत्ति चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 69/224 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 24 तादादी 21 बीघा व चक 22 एल.एल.डब्ल्यू. "बी" के खाता संख्या 76/224 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 4, 7, 8/10, 13/10, 14, 17, 18/10, 23/10 व 24 तादादी 7 बीघा व इसी चक 22 एल.एल.डब्ल्यू. "बी" के खाता संख्या 75/225 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नंम्बर 1 ता 4, 10/10 तादादी 4 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 सहदायिक होने के कारण जन्मतः ही बहिस्सा बराबर के हकदार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को अर्सा दो वर्ष पूर्व उक्त पैतृक सम्पति में से चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से 11 बीघा

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

10 बिस्वा कृषि भूमि बांटकर पृथक कर दिया था लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होने से उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकता।

चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है तथा लोक अदालत की भावना व परिवार के मौजिज सदस्यों की समझाईश से पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीया संख्या 3 जो वादी की हकीकी बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है, ने उक्त पैतृक सम्पति में से प्राप्त होने वाला अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। उक्त कृषि भूमि में वह किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा लेना नहीं चाहती। मुताबिक राजीनामा वादी अभिमन्यु को चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से पत्थर नम्बर 69/224 मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 12 तादादी 11 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 2 रूकमणी देवी जो वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की धर्मपत्नि है, को चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 13, 14 व 17 ता 24 कुल तादादी 10 बीघा की खातेदार घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाने हेतु सहमत है।'' पक्षकारान ने आपसी सहमति व अपने विवेक से यह राजीनामा निष्पादित कर दिया है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र निर्णित किया जाकर फैसल शुमार फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौताधोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी

लगातार 4

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णचन्द के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 5/42 की 21.00 बीघा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड है, जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 कि पत्नी है का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण चन्द के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 11 जे.डी. डब्ल्यू. खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से वादी संख्या 1 अभिमन्यु को पत्थर नम्बर 69/224 मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 12 तादादी 11 बीघा कृषि भूमि तथा प्रतिवादीया संख्या 2 रूकमणी देवी को पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 13, 14 व 17 ता 24 कुल तादादी 10 बीघा की खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 451/2016

1 अभिमन्यु पुत्र श्री कृष्ण चन्द उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 कृष्ण चन्द पुत्र श्री उदा राम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।
2 रूकमणीदेवी धर्मपत्नि श्री कृष्णचन्द जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3 सुमन पुत्री श्री कृष्णचन्द पत्नि श्री उमेशकुमार जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

वादी की और से श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री राजेन्द्र कुमार पारिक अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 05.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण चन्द के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 11 जे.डी. डब्ल्यू. खाता संख्या 5/42 के पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 1 से 5, 7 से 14, 17 से 24 तादादी 21 बीघा में से वादी संख्या 1 अभिमन्यु को पत्थर नम्बर 69/224 मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 12 तादादी 11 बीघा कृषि भूमि तथा प्रतिवादीया संख्या 2 रूकमणी देवी को पत्थर नम्बर 69/224 (19) के किला नम्बर 13, 14 व 17 ता 24 कुल तादादी 10 बीघा की खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी
वाद पत्र के लिये ...		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:01:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: